निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 22/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री मोहम्मद महबूब अली पुत्र श्री मोहम्मद खान, निवासी 61, शिव कॉलोनी–3, कोहिनूर सिनेमा के सामने, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित :– विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय   दिनांक 12.05.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 22.03.2024 को मुहाना थाना पहुचें। पुलिस थाना से तहरीर प्राप्त की गई। मुताबिक तहरीर सीएसटी टीम जयपुर से कानिस्टेबल भंवरलाल बैल्ट नम्बर 7599 ने सूचना दी कि रिको कांटे के पास गैस सिलेण्डर वाले को एवं गैस सिलेण्डर को पकड रखा है। उक्त सूचना श्री प्रेमचन्द एचसी 608 चेतक जाप्ता को सूचित कर मौके पर पहुचने हेतु बताया गया। गैस सिलेण्डर रिफिल करने वाले का नाम मोहम्मद महबूब अली है। जिसको 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो मोटर सहित साक्ष्य व सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मुहाना लेकर आये है। मोहम्मब महबूब अली से पुछताछ करने पर बताया की थाने में रखे 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल, दो विद्युत मोहर उसके स्वयं के है तथा वह घरेलू गैस सिलेण्डरर्स से विद्युत मोटर की सहायता से 75/–रूपये प्रति किलो की दर से थ्री–व्हीलर ऑटो व टैक्सियों में भरता है। पुलिस थाना मुहाना एवं सीएसटी टीम द्वारा गैस भरते हुये पकडे जाने पर थाने में लाया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जिसको जब्त किया गया। अप्रार्थी से जब्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डरर्स के अवैध क्रय–विक्रय बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.04.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मुताबिक तहरीर सीएसटी टीम जयपुर से कानिस्टेबल भंवरलाल बैल्ट नम्बर 7599 ने सूचना दी कि रिको कांटे के पास गैस सिलेण्डर वाले को एवं गैस सिलेण्डर को पकड रखा है। उक्त सूचना श्री प्रेमचन्द एचसी 608 चेतक जाप्ता को सूचित कर मौके पर पहुचने हेतु बताया गया। गैस सिलेण्डर रिफिल करने वाले का नाम मोहम्मद महबूब अली है। जिसको 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो मोटर सहित साक्ष्य व सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मुहाना लेकर आये है। मोहम्मब महबूब अली से पुछताछ करने पर बताया की थाने में रखे 09 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल, दो विद्युत मोहर उसके स्वयं के है तथा वह घरेलू गैस सिलेण्डरर्स से विद्युत मोटर की सहायता से 75/—रूपये प्रति किलो की दर से थ्री—व्हीलर ऑटो व टैक्सियों में भरता है। पुलिस थाना मुहाना एवं सीएसटी टीम द्वारा गैस भरते हुये पकडे जाने पर थाने में लाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर जब्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो विद्युत मोटर मैसर्स श्री सरस्वती एचपी गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री सुनील पालीवाल की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश फरमावे।
5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 22.03.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
6. अप्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर के समर्थन में स्वामित्व सम्बन्धी कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये । दौराने जांच मौके पर 09 एचपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय दो विद्युत मोटर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से ऑटो/वाहनो में गैस भरना पाया गया। घरेलू एल०पी०जी० कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावासायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 09 एचपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 14.200 किलोग्राम को राजसात **(Confiscate)** किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 29.04.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।
10. निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner